न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील भरण पोषण प्रकरण संख्या 01/2022.(GCMS : 2022/4)

आनन्द प्रकाश पुत्र काशीराम जाति शर्मा उम्र 74 वर्ष निवासी ए–6, अशोक नगर, मीरा चौक,श्रीगंगानगर

—— अपीलार्थी

बनाम

1. विजय कुमार उर्फ वी.के. शास्त्री पुत्र श्री आनन्द प्रकाश जाति शर्मा निवासी ए–6, अशोक नगर, मीरा चौक, श्रीगंगानगर (राज.) कार्यालय पता महाकाली ज्योतिष दरबार, पी ब्लॉक डिग्गी के पास, दुकान नं. 2, श्रीगंगानगर
2. सुरेखा पत्नी विजय कुमार जाति शर्मा निवासी ए–6 अशोक नगर, मीरा चौक, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

—— रेस्पोडेंट

16.05.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री आनन्द प्रकाश एवं रेस्पोडेंट श्री विजय कुमर उर्फ वी.के शास्त्री स्वयं उपस्थित हुए। रेस्पोडेंट संख्या 2 सुरेखा उपस्थित नहीं हुई। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी श्री आनन्द प्रकाश ने अपनी लिखित बहस के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित किया गया है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य तथा विवादित भूखण्ड का पट्टा जिसे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा किरायानामा दिनांक 02.07.20241 जो प्रार्थी को 34,100/– वार्षिक आय होना प्रकट होता है, प्रस्तुत किया जिसे आधार मानते हुए प्रार्थी के पक्ष में कोई भरण पोषण हेतु [illegible] गया जबकि प्रार्थी ने ऐसा कोई किरायानामा तैयार ही नहीं किया गया था ना ही उस पर कोई हस्ताक्षर किये। अप्रार्थी द्वारा जो दस्तावेज किरायानामा पेश किया गया, उस पर प्रार्थी के कूटरचित हस्ताक्षर कर फर्जी किरायानामा प्रस्तुत किया है, जिसे आधार मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी के हक में कोई भरण पोषण का आदेश पारित नहीं किया, जो अपास्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:26:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी का आगे कथन था कि उसके मकान में 05 कमरे बने हुए है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 6 कमरे मानते हुए तीन–तीन कमरे देने का आदेश पारित किया गया है जबकि 06 कमरों का जिक्र ना तो प्रार्थी द्वारा अपने परिवाद में किया गया तथा ना ही जवाब मे पेश किया गया तथा ना ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रजिस्ट्री में किया गया, के बावजूद भी तीन–तीन कमरे देने का आदेश दिया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य हैं

अपीलार्थी का आगे कथन था कि प्रार्थी के अलावा प्रार्थी की पत्नी प्रार्थी की पुत्री नीतू, दामाद राजीव शर्मा व दूसरी पुत्री चंचल का शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये थे जिनके द्वारा यह कहा गया था कि अप्रार्थीगण उनके माता–पिता को तंग परेशान करते हे, उनके भोजन, पानी की व्यवस्था नहीं करते है तथा अप्रार्थीगण के पास आय के पर्याप्त साधन है जिनसे उन्हें 40,000/– रूपये प्रतिमाह भरण पोषण दिलाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने उन पर विश्वास न करते हुए अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत कूटरचित दस्तावेज किरायानाम तथा फर्जी गवाह कन्हैयालाल, अशो कुमार, कृष्णलाल, धर्मेन्द्र द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों का आधार मानते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 4 व 5 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 को निरस्त किया है।

उनका आगे कथन था कि प्रार्थी 74 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है तथा प्रार्थी की पत्नी भी ह्दय रोग से पीड़ित है तथा अप्राथीगण द्वारा उनके साथ लगातार ज्यादती की जा रही है। प्रार्थी के पास आय के पर्याप्त साधन नही है तथा जो दस्ता[illegible] है वह कूटरचित तैयार करके प्रस्तुत किया गया है, जिसकी [illegible] हेतु प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र माननीय पुलिस अधीक्षक, श्री[illegible] को भी [illegible] गया है। ऐसी अवस्था में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि [illegible]द्ध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:26:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे कथन था कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.11.2021 को अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को प्रत्यर्थीगण से 40,000/— रूपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता राशि दिलवाई जावे तथा अपीलार्थी के रजिस्ट्रीशुदा मकान जिस पर प्रत्यर्थीगण द्वारा नाजायज कब्जा किया गया है, को खाली करवाये जाने के आदेश दिये जाने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत रेस्पोडेंट विजय कुमार ने अपनी लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण मकान संख्या ए—6 अशोक नगर, मीरा चौक श्रीगंगानगर में जबरदस्ती नहीं रह रहे है। उक्त मकान का निर्माण कार्य रेस्पोडेंट द्वारा करवाया गया जो कि पूर्व में खाली प्लॉट था। रेस्पोडेंट व उसका परिवार उक्त मकान में मालिक की हैसियत से रह रहे है। अप्रार्थीगण के पास आवास हेतु अन्य कोई भी मकान नहीं हैं

उनका आगे कथन था कि उनके द्वारा अपने माता पिता को रहन सहन, खान पान की उचित व्यवस्था कर रखी है परन्तु अपीलांट रेस्पोडेन्ट को उक्त मकान से बेदखल करना चाहता है।

उनका आगे कथन था कि अपीलांट के पास आय के पर्याप्त साधन है। लोगो के बहकावे में आकर रेस्पोडेंट के खिलाफ प्रार्थना पत्र पेश करके मकान से निकलवाना चाहता है। उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से निर्णय होने के बाद अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट/अप्रार्थीगण के खिलाफ पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 15.12.2021 को प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के अधार पर प्रस्तुत कि[illegible]से कोतवाली थाना, श्रीगंगानगर द्वारा जांच की गई। जिसमें अपीलांट द्वारा मकान को किराये पर दिया जाना माना है। जिससे प्रमाणित है कि अपीलांट के पास आय के पर्याप्त साधन है व दुकानों का किराया स्वयं ले रहा है व रेस्पोडेंट के साथ मकान मे स्वयं नहीं रहना चाहता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:26:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे कथन था कि उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपने समर्थन मे नितिन खरबन्दा, कन्हैयालाल, अशोक कुमार, धर्मेन्द्र कुमार के शपथ पथ पेश किये जिनके द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलांट की सेवा चाकरी व रहने की उचित व्यवस्थाा करना बताया गया व उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में निर्णय होने के बाद दिनांक 15.12.2021 को कोतवाली श्रीगंगानगर के समक्ष अपीलांट ने प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसमें जांच अधिकारी द्वारा अपीलांट की शिकायत को निराधार व गलत माना गया।

उनका आगे कथन था कि अपीलांट द्वारा स्वयं अपनी अपील में 74 वर्ष का वृद्ध व हृदय रोग से पीड़ित होना अंकित किया। प्रार्थी के अलावा अन्य कोई भी देखभाल करने वाला नही है। यदि रेस्पोडेंट को घर से बेदखल किया जाता है तो रेस्पोडेंट के पास रहने हेतु अन्य कोई भी मकान नहीं है। अपीलांट लोगो के बहकावे में आकर उक्त सम्पत्ति को विक्रय करना चाहता है जबकि अपीलांट के पास अन्य मकान व सम्पत्तियां भी है व आय के पर्याप्त साधन है। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट की देखभाव व सेवा चाकरी की जा रही है व समय समय पर इलाज हेतु हस्पताल में लेकर जाते है। अपीलांट द्वारा छोटी छोटी बातों को लेकर रेस्पोडेंट के विरूद्ध मुकदमे करवाये जाते है। हह्रय रोग से ग्रसीत होने के कारण हर समय अपीलांट के पास कोई न कोई व्यक्ति रहना आवश्यक है। रेस्पोडेंट के अलावा प्रार्थी की देखभाल करने वाला कोई नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:26:06 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे कथन था कि रेस्पोडेन्ट माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो शर्त लगाई गई है उनकी पालना कर रहे है। रेस्पोडेंट द्वारा कभी भी इसकी अवहेलना नहीं की गई हैं इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी आनन्द प्रकाश ने रेस्पोडेंट संख्या 01 विजय कुमार– पुत्र एवं रेस्पोडेंट संख्चा 02– सुरेखा–पुत्रवधु के विरूद्ध अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनिमय 2007 की धारा 5 के तहत एक प्रार्थना पत्र कर निवेदन किया था कि प्रार्थी वृद्ध है तथा अपने स्वयं की आय से अर्जित निर्मित रजिस्ट्रीशुदा मकान प्रार्थना पत्र के शीर्षक में वर्णित पता पर स्थित है, जिसमें वह अपनी पत्नी सहित निवास कर रहा है। प्रार्थी की 6 संताने है जिनमें 5 लडकिया और एक लड़का अप्रार्थी संख्या 01 है। प्रार्थी द्वारा अपनी पांचों पुत्रियों का विवाह किया हुआ है जो अपने पीहर में परिवार सहित आबाद है। प्रार्थी के मकान में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 जबरदस्ती रह रहे है तथा उन्होनें ही प्रार्थी के मकान के ऊपर बने कमरे को किराये पर दे रखा है जिसका किराया भी अप्रार्थीगण ही प्राप्त करते हैं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थी को अक्सर बात की धमकी दी जा रही है या तो वह उक्त मकान उनके नाम करवा दे या उस पर कोई गलत इल्जाम लगाकर या दहेज प्रताड़ना का झूठा मुकदमा दर्ज करवाकर उसे फंसवायेगें। प्रार्थी, अप्रार्थीगण से भयभीत है तथा अप्रार्थीगण उसे काफी खतरा बना हुआ है कि ये लोग कभी भी उसे झूठे मुकदमेंबाजी में फंसा सकते है तथा प्रार्थी की पत्नी को यह अंदेशा रहता है कि अप्रार्थीगण कभी भी प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नी की हत्या कर सकते है। प्रार्थी के नाम से रजिस्ट्रीशुदा स्वयं का उक्त मकान है जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 जबरन अनाधिकृत रूप से कब्जा किये हुए है और प्रार्थी को घर से बाहर निकालने के लिए प्रयासरत है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को भरण पोषण [illegible] किसी भी प्रकार की कोई राशि नहीं दी जा रही है जबकि अप्रार्थीगण के पास आय के पर्याप्त स्त्रोत है। अप्रार्थी संख्या 1 ने पी ब्लॉक में म[illegible]ली ज्योतिष दरबार के नाम से एक कार्यालय खोल रखा है । अप्रार्थी के पास लाखों रूपये प्रतिमाह की आमदनी है। इसके अलावा अप्रार्थीगण के पास शहर में फ्रेण्डस विहार व बालाजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:26:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

विहार में मेन रोड पर दो शोरूम है तथा चण्डीगढ व जयपुर में भी एक एक कोठी है जिन्हें अप्रार्थीगण ने किराये पर दे रखा है तथा शहर के पॉश एरिया में भी पी ब्लॉक डिग्गी में एक 10 गुणा 35 की दुकान है जो दो मंजिला बनी हुई है । इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 करीब 2 लाख रूपये प्रतिमाह आय प्राप्त कर रहे है लेकिन अप्रार्थीगण विधिक एवं नैतिक रूप से प्रार्थी का भरण पोषण करने व दवा पानी आदि करने हेतु जिम्मेवार है। प्रार्थी को स्वयं व अपनी पत्नी के भरण पोषण, कपड़े लत्ते, दवा पानी आदि हेतु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से संयुक्त रूप से 40 हजार रूपये प्रतिमाह दिलाये जावे एवं प्रार्थी के स्वामित्व के उपरोक्त वर्णित मकान से अप्रार्थीगण द्वारा किये गये अनाधिकृत कब्जे से अप्रार्थीगण को बेदखल कब्जा प्राथी को सुपुर्द करने का अनुतोष पारित किया जावे।

मैनें, उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और **पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि** प्रार्थीगण ने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 अन्तर्गत धारा 5 के अन्तर्गत उक्त प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष पेश हुआ जिसमें उनके द्वारा निम्नानुसार दिनांक 23.11.2021 को निर्णय पारित किया है:

> उक्त विवेचन के आधार पर यह प्रकट होता है कि प्रश्नगत/विवादित भूखण्ड प्रार्थी के नाम का पट्टा है। इस भूखण्ड पर मकान का निर्माण किसने करवाया इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। किरायेनामा दिनांक 02.0[illegible] से प्रार्थी को 34,100/- रूपये की वार्षिक आय होना [illegible] है।
>
> अतः आदेश दिये जाते है कि प्रश्नतगत सम्पत्ति में अप्रार्थी, प्रार्थी के सामान्य जीवनयापन में व्यवधान उत्पन्न न करें। प्रश्नगत मकान के तीन कमरों में प्रार्थी एवं तीन कमरों

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:26:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

में अप्रार्थी रहें। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी के सामान्य जीवन निर्वाह में बाधा उत्पन्न न करें। प्रार्थी को तंग व परेशान करने से निषेध रहें।

अतः आदेश की प्रति तहसीलदार एवं कार्यापालक मजिस्ट्रेट तथा थानाधिकारी पुलिस थाना जवाहर नगर, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

-sd-
(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के उक्त निर्णय दिनांक 23.11.2021 की अप्रसन्नता से अपीलार्थी ने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया है और अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 23.11.2021 को अपास्त कर **अपीलार्थी को प्रत्यर्थीगण से 40,000/— रूपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता राशि दिलवाई जावे तथा अपीलार्थी के रजिस्ट्रीशुदा मकान जिस पर प्रत्यर्थीगण द्वारा नाजायज कब्जा किया गया है, को खाली करवाये जाने के आदेश प्रदान करने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।**

माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 2(क)(ख) निम्न प्रकार से अवलोकनीय है:

2(क) 'सन्तान' के अन्तर्गत पुत्र, पुत्री, पौत्र और पौत्री सम्मिलित है किन्तु अवयस्क सम्मिलित नहीं है।

2(ख) 'भरण पोषण' के अन्तर्गत भोजन, कपड़े निवास और चिकित्सीय परिचर्या और इलाज हेतु व्यवस्था सम्मिलित है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Piar
Date: 2022.06.01 13:26:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 2(क) के अनुसार पुत्रवधु सन्तान की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है **इसलिए सुरेखा अप्रार्थी संख्या 2 —पुत्रवधु है इसलिए अपीलार्थीगण अप्रार्थी संख्या 2 से किसी प्रकार के अनुतोष की मांग नहीं कर सकते है।**

अपीलार्थी ने बहस में कथन किया है कि अप्रार्थी विजय कुमार के पास फ्रेण्डस विहार व बालाजी विहार में मेन रोड़ पर दो शोरूम है तथा चण्डीगढ व जयपुर में भी एक एक कोठी है जिनहें अप्रार्थी ने किराये पर दे रखा है जहां से उसे लाखों रूपये की आमदनी होती है तथा शहर के पॉश ऐरिया ब्लॉक एरिया में भी पी ब्लॉक डिग्गी के में एक दो मंजिला दुकान बनी हुई है जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थी ने कोई साक्ष्य या सबूत पेश नहीं किये है और अप्रार्थी विजय कुमार ने भी उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में अपनी लिखित एवं मौखित बहस में कोई कथन नहीं किया है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी विजय कुमार ने चण्डीगढ, जयपुर व गंगानगर में कोई शोरूम मकान या दुकान नहीं होना अंकित किया है।

अपीलार्थी ने बहस के समय उप पंजीयक, श्रीगंगानगर के कार्यालय में दिनांक 11.11.2021 को करवाई गई वसीयत प्रति पेश की है जिसमें अपीलार्थी ने पृष्ठ संख्या 2 पर निम्न सम्पत्ति स्वयं की अर्जित किया जाना अंकित किया है :

1. भूखण्ड संख्या ए—6 अशोक नगर, श्रीगंगानगर पैमायशी 20.5 गुणा 27 मीटर
2. मकान नम्बर [illegible] अशोक नगर, श्रीगंगानगर पैमायशी 20 गुणा 50 फीट निर्मितशुदा इकरारनाम पर खरीद किया हुआ
3. बैंकों में नगद राशि है तथा जेवरात आदि है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:26:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

इसके साथ अपीलार्थी ने अपनी वसीयत में अंकित किया है **उक्त भूखण्ड संख्या ए–6 अशोक नगर, श्रीगंगानगर के दक्षिण हिस्सा में 12 गुणा 69 फीट की दुकान तथा एक शोरूम 35 गुणा 69 फीट का पूर्व में दिशा में खुलता हुआ है जो कि किराये पर दिये हुए है** का उल्लेख किया है जबकि प्रार्थना पत्र उसने अंकित किया है कि अप्रार्थीगण द्वारा कूटरचित किरायेनामा तैयार कर पेश किये गये है। **इस प्रकार प्रार्थना पत्र एवं वसीयत में अंकित तथ्य एक दूसरे के विपरीत है इसलिए अपीलार्थी द्वारा किरायेनामे के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य स्वीकार करने योग्य नहीं हैं।** इसीप्रकार अपीलार्थी ने वसीयत में कथन किया है कि **वह और उसकी पत्नी कृष्णा देवी का खाना होटल से मंगवाते है। उन्होनें कमरे की साफ सफाई तथा कपड़े धोने के लिए नौकरानी रखी हुई है। पुत्र व पुत्रवधु उनकी कोई देखरेख व सहायता नहीं करते है। अपीलार्थी द्वारा वसीयत में अंकित उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उसके पास स्वयं के भरण पोषण हेतु आय के साधन उपलब्ध है।**

भूखण्ड संख्या ए–6 अशोक नगर, श्रीगंगानगर जो कि अपीलार्थी आनन्द प्रकाश के नाम से है किन्तु उक्त भूखण्ड पर किसके द्वारा निर्माण करवाया गया है का कोई सबूत/साक्ष्य उभयपक्ष ने पेश नही किया है और रेस्पोडेंट भी ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया गया है जिससे यह मालूम होता की अपीलार्थी ने उक्त विवादित मकान संख्या ए–6 अशोक नगर, श्रीगंगानगर पैतृक सम्पत्ति को बेचकर खरीद किया हो। चूंकि उक्त विवादित भूखण्ड संख्या ए–6 अशोक नगर, श्रीगंगानगर अपीलार्थी के नाम स्वः अर्जित रजिस्ट्रीशुदा मकान [illegible] उस पर समस्त अधिकारी अपीलार्थी के हो जाते है तथा पिता और [illegible] की स्वअर्जित सम्पत्ति पर पुत्र और पुत्रवधु किसी भी प्रकार के अधिकार का दावा नहीं कर सकते। **2019(3) आरएलडब्ल्यू 2061(राज.) अनवानी ललिता कंवर बनाम समेर सिंह में निम्न प्रकार से उल्लेख किया है :**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:26:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

माता–पिता व वरिष्ठ नागरिक भरण –पोषण और कल्याण अधिनियम 2007, धारा 2(ख)(ञ), 4,5,6 – बच्चे और पौत्र की बेदखली – न्यायालय की अधिकारिता – 2007 के अधिनियम के तहत गठित भरण पोषण अधिकरण को बेदखली का आदेश करने की शक्ति और अधिकारिता प्राप्त है – धारा 3 के अनुसार 2007 के अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होता है – पिता और माता की स्वअर्जित सम्पत्ति पर पुत्र और पुत्रवधु किसी भी प्रकार के अधिकार का दावा नहीं कर सकते– अभिनिर्धारित – आदेश अधिकारिता विहीन नहीं है अतः बहाल रखा।

चूंकि पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर उक्त विवादित मकान संख्या ए–6 अशोक नगर, श्रीगंगानगर अपीलार्थी आनन्द प्रकाश की स्वः अर्जित सम्पत्ति है और अपीलार्थी आनन्द प्रकाश को उक्त विवादित मकान में अप्रार्थीगण के साथ रहना नहीं चाहता है। इसलिए माता पिता व वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 एवं उक्त कानूनी प्रावधानों के अनुसार **उक्त विवादित मकान** संख्या ए–6 अशोक नगर, श्रीगंगानगर **पर अपीलार्थी आनन्द प्रकाश का सम्पूर्ण अधिकार है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 विजया कुमार एवं अप्रार्थी संख्या 2 सुरेखा का उक्त विवादित मकान** संख्या ए–6 अशोक नगर, श्रीगंगानगर **पर किसी प्रकार का कानूनी अधिकार नहीं है। इसलिए अप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 उक्त विवादित मकान** संख्या ए–6 अशोक नगर, श्रीगंगानगर **को खाली करने के आदेश दिया जाना उचित होगा।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:26:06 IST
Reason: SelfAttested

चूंकि उक्त विवादित मकान संख्या ए–6 अशोक नगर, श्रीगंगानगर **अपीलार्थी आनन्द प्रकाश का स्वःअर्जित है इसलिए उक्त मकान पर सम्पूर्ण अधिकार अपीलार्थी आनन्द प्रकाश का है ओर उक्त सम्पत्ति पुत्र**

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

और पुत्रवधु किसी प्रकार से दावा नहीं कर सकते। इसलिए अप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 को आदेशित किया जाता है कि वे अपीलार्थी आनन्द प्रकाश का उक्त मकान संख्या ए–6 अशोक नगर, श्रीगंगानगर **को आदेश प्राप्त होने के 03 माह में खाली कर देवें। अपीलार्थी आनन्द प्रकाश के पास भरण पोषण हेतु दुकान एवं मकान का किराया, बैंक में जमा राशि आदि से आय के पर्याप्त साधन उपलब्ध है इसलिए रेस्पोडेंट को किसी प्रकार की भरण पोषण राशि दिये जाने के आदेश दिया जाना उचित नहीं है।**

अतः उक्त विवेचन एवं कानूनी प्रावधानों के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं। **अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर का रिकार्ड मय आदेश की प्रति सहित पालना के लिए वापिस लौटाया जावे। आदेश की एक एक प्रति अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट को भी भेजी जावे।** पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश की प्रति तहसीलदार, श्रीगंगानगर एवं **कार्यालय मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर तथा थानाधिकारी, पुलिस थाना, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर** को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 16.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:26:06 IST
Reason: SelfAttested